

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1522/2019/

दिनांक :

आदेश

श्री तिलक कुमार गहलोत, लैब टेक्नीशियन, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा जिनकी जन्म तिथि 15.06.1960 है तथा राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 11.07.1986 है को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राज0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.04.2019 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.04.2019 इनका अकार्य दिवस होगा। इनके विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 403 दिनांक 27.02.2019 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

*sd-*  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./एफ-1522/2019/162

दिनांक : 13/03/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी आईडी क्रमांक 1443 दिनांक 27.02.19 के क्रम में।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी आईडी क्रमांक 403 दिनांक 27.02.19 के क्रम में।
3. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-उदयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गाँधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
7. श्री तिलक कुमार गहलोत, लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

*sd-*  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर